

संजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या-नोएडा/मु०प्र०/नि०/2013/III -226/ 7c 6

दिनांक: 26/11/2013

सेवा में,

मेसर्स ए०वी०पी० विल्डटेक प्रा० लिमिटेड,

बी - 47, सेक्टर - 51,

नोएडा

आपके प्रारंभ पत्र दिनांक 04.04.2013 के संदर्भ में आप द्वारा पुनरीकृत सुप हाउसिंग भवन निर्माण की उप विभाजित भूखण्ड संख्या जीएच - 03सी, सेक्टर - 77, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह भवन मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. भवन मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शारदाकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेट) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास प्लान मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व छिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सख्तपरी भूमि या सड़क की ओर बड़ाव (प्रोजेक्टेड) न हो।
6. बिजली की लाइन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आर्बटी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत भवन मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मीके पर कभी भी जाँच की जा सके। स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आर्बटी संस्था को तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आर्बटी संस्था को मेजेनाइन्ड तल/अन्य तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करना होगा अन्यथा स्वीकृत भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेन्ग अथवा स्टैप नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आर्बटी संस्था जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग से करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आर्बटी उसे डूकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वरुंत पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हो अथवा उसके पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता विधि तक समाप्त जायेगा।

R